निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 05/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सतीश कुमार पुत्र स्व॰ श्री सीताराम जाति बारागांव ब्राह्मण, निवासी ग्राम बस्सी (स्टेशन रोड बस्सी) तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. विजय कुमार शर्मा पुत्र स्व॰ श्री बिरधी चन्द जाति बारागांव ब्राह्मण, निवासी ग्राम बस्सी (मुख्य बाजार) तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती रतन पत्नी स्व॰ श्री बिरधी चन्द जाति बारागांव ब्राह्मण, निवासी ग्राम बस्सी (मुख्य बाजार) तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2020 ब उनवानी विजय कुमार बनाम सतीश कुमार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सुभम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 02.01.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 15/2020 ब उनवानी विजय कुमार बनाम सतीश कुमार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि हाल ही में प्रशासन गावों के संग अभियान के रौरान अप्रार्थी संख्या एक व दो के परिचित कैम्प में पहुंचे एवं जाते ही उपखण्ड अधिकारी के पास जाकर बैठ गये एवं प्रार्थी की पत्रावली निकाल कर उसमे अप्रार्थी संख्या एक व दो के पक्ष में आदेश जारी करने हेतु पीठासीन अधिकारी को कहा एवं पीठासीन अधिकारी भी पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही प्रार्थी के विरूद्व आदेश जारी करने

जिला कलक्टर
जयपुर

पर आमादा हो गये। प्रार्थी द्वारा राजस्व कैम्प में पत्रावली में मनमाने तरीके से निर्णय पारित करने का घोर विरोध किया गया तो उस समय तो पत्रावली में कोई निर्णय पारित नहीं हुआ लेकिन उसके बाद अप्रार्थी संख्या एक व दो के जानकार यह कहते फिर रहे है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के परिचित की उपखण्ड अधिकारी से अच्छी वाली जान पहचान है एवं पीठासीन अधिकारी एवं उनकी पहचान वाला एक ही समाज के है एवं पीठासीन अधिकारी का ससुराल एवं उनकी बहन का ससुराल यानि काफी संख्या में उनके रिश्तेदार बस्सी तहसील मे है, जिनकी पहचान से वह पत्रावली में तारीख पेशी पर फैसला करवा कर रहेंगे और प्रार्थी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अप्रार्थी संख्या एक व दो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है एवं वह लोगो को यह कहते रहते है कि उनकी एस डी ओ व नायब तहसीलदार सभी से अच्छी जान पहचान है, वह उनसे कुछ भी काम करवा सकते है। लिए प्रार्थी को पूरा–पूरा भय है कि वह प्रार्थी के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 3 के यहां से फैसला जरूर करवायेंगे। ऐसी दशा में प्रार्थी की अप्रार्थी संख्या 3 के यहां चल रही पत्रावली में न्याय की कोई उम्मीद नही है। इसलिए पत्रावली को जयपुर स्थित किसी भी न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तत्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा पूर्व के पीठासीन अधिकारियों के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जाना बताया है । प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी एवं उत्तरदाता अप्रार्थीगण एक ही जाति के होने का आरोप लगाते उक्त प्रकरण को अन्यत्र. सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। पीठासीन अधिकारी एवं उत्तरदाता अप्रार्थीगण एक ही जाति के होना प्रकरण के मुन्तकिल का कोई आधार नहीं है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है उनके संबंध में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें कोई बल नहीं पाते है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर